झारखंड कैमरून में फँसे श्रमिकों की सहायता करेगा

चर्चा में क्यों?

झारखंड के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद **कैमरून में फँसे** झारखंड **के 47 प्रवासी श्रमिकों के समूह को उनके वेतन का आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया** है।

मुख्य बिंदु

- **लंबित वेतन और कानूनी गैर-अनुपालन:**
  - कैमरून में मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड द्वारा नियोजित श्रमिकों ने तीन महीने से वेतन का भुगतान न किये जाने का आरोप लगाया।
  - झारखंड के मुख्यमंत्री ने **श्रम आयुक्त को** नियोक्ताओं और बिचौलियों के विरुद्ध **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज करने का निर्देश दिया।
  - FIR में **अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 के उल्लंघन** का उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजीकरण या अपेक्षित लाइसेंस के बिना श्रमिकों को विदेश भेजना भी शामिल है।
  - झारखंड के हज़ारीबाग, बोकारो और गिरिडीह ज़िलों में FIR दर्ज की गईं।
- **वेतन भुगतान अद्यतन:**
  - ट्रांसरेल लाइटिंग ने कहा कि **श्रमिकों को प्रति माह 100 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था तथा** शेष राशि उनके भारतीय खातों में स्थानांतरित करने का वादा किया गया था।
  - श्रम विभाग ने कंपनी से **अनुबंध, वेतन रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।**
  - **आवश्यक कार्रवाई के लिये** **प्रवासी संरक्षक (POE)** और अन्य प्राधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
- **कूटनीतिक प्रयास:**
  - भारतीय उच्चायोग और **विदेश मंत्रालय** कंपनी और फँसे हुए श्रमिकों के बीच बातचीत को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बना रहे हैं।
  - नियंत्रण कक्ष की टीमें श्रमिकों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं।
  - अधिकारियों ने चेतावनी दी कि पूर्ण वेतन का भुगतान न करने पर **ठेकेदारों के साथ समझौते रद्द किये जा सकते हैं।**
- **हस्तक्षेप के पिछले मामले:**
  - **जुलाई 2024** में, मुख्यमंत्री ने कैमरून से **27 फँसे श्रमिकों को वापस लाने के लिये हस्तक्षेप किया।**
  - **मलेशिया में फँसे 50 श्रमिकों को वापस लाने** के प्रयास जारी हैं, जो विशाखापत्तनम पहुँच चुके हैं और उनके शीघ्र ही घर लौटने की आशा है।

अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979

- इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-राज्यीय प्रवासियों के रोज़गार और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करना है।
- यह प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो **अन्य राज्यों से आए पाँच या अधिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करता है** अथवा यदि उसने **पिछले 12 महीनों** में किसी भी दिन **पाँच या अधिक ऐसे कर्मकारों को नियोजित किया हो।**
- **यह उन ठेकेदारों पर** भी लागू होता है जिन्होंने समान संख्या में अंतर-राज्यीय श्रमिकों को रोज़गार दिया हो।
- **इसमें ऐसे प्रतिष्ठानों के पंजीकरण** की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। मुख्य नियोक्ता को संबंधित प्राधिकारी से **पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना अंतरराज्यीय श्रमिकों को नियुक्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।**
- कानून में यह भी प्रावधान है कि **प्रत्येक ठेकेदार जो** एक राज्य से दूसरे राज्य में तैनाती के लिये श्रमिकों की भर्ती करता है, **उसे ऐसा करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करना होगा।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-to-help-workers-stranded-in-cameroon